

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 9 मार्च 2024—फाल्गुन 19, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2024

क्र. एफ 1-1-1-002-2024-साप्रवि-10-01.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37, सन् 1981) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह को अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लोकायुक्त मध्यप्रदेश नियुक्त किया गया है.

No. F 1-1-1-002-2024-GAD-10-01.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the Governor of Madhya Pradesh has been pleased to appoint Justice Shri Satyendra Kumar Singh as Lokayukta, Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.